न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.) अपर कलेक्टर लखनऊ

संख्या 221/रीडर-टी.जी./2022 दिनांक 25 मई, 2022

नोटिस

1. **श्री कुलदीप त्रिपाठी** नि. 555क/570डी, कनौसी मानकनगर, लखनऊ व कन्टीनेन्टल कैटर्स, 10/12, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ व बिल्डिंग/मकान संख्या 18, प्लाट संख्या 17 व 18 के भाग पर निर्मित, खसरा संख्या 928 बी (मि.) स्थित जगपाल खेडा ग्राम भरवारा, परगना तहसील व जिला लखनऊ।
2. **श्रीमती उर्मिला बाजपेयी**, नि.555क/570डी, कनौसी मानकनगर, लखनऊ बिल्डिंग/मकान संख्या 18, प्लाट संख्या 17 व 18 के भाग पर निर्मित, खसरा संख्या 925 बी (मि.) स्थित जगपाल खेडा ग्राम भरवारा, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि रिलायंस हो. फा. लि. लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गये ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनॉक **08.06.2022** को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यो न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा - 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मे कथित सम्पत्ति को कब्जे मे लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध मे दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित नही होते है तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नही कहना है और तदुनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगा।

(हिमांशु कुमार गुप्ता)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.)/अपर कलेक्टर, लखनऊ।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.) अपर कलेक्टर लखनऊ

संख्या 219/रीडर-टी.जी./2022 दिनांक 25 मई, 2022

नोटिस

1. श्री रूपेश कुमार गुप्ता नि. बिल्डिंग संख्या 50/1, अदिल नगर, खसरा संख्या 292 स, लखनऊ व कंचन बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, लखनऊ
2. श्रीमती रमा गुप्ता, नि. बिल्डिंग संख्या 5290/1/2600, अलोक नगर, कल्याणपुर, कंचन बिहारी मार्ग, निकट रानी लक्ष्मी बाई स्कूल, लखनऊ बिल्डिंग संख्या 50/1, आदिल नगर, खसरा संख्या 292 स, लखनऊ।
3. लवली इण्टरप्राईजेस, 50 सीमान्त नगर, लखनऊ बिल्डिंग संख्या 50/1, आदिल नगर, खसरा संख्या 292 स, लखनऊ।
4. श्रीमती मीनू गुप्ता नि. बिल्डिंग संख्या 50/1, अदिल नगर, खसरा संख्या 292 स, लखनऊ व कंचन बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, लखनऊ।
5. श्री श्रवण कुमार गुप्ता नि. 1/2600, अलोक नगर, कल्याणपुर, कंचन बिहारी मार्ग, कटियार टाईमर स्टोर, विकास नगर, निकट रानी लक्ष्मी बाई स्कूल, लखनऊ बिल्डिंग संख्या 50/1, आदिल नगर, खसरा संख्या 292 स, लखनऊ।

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि रिलायंस हो. फा. लि. लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गये ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनॉक **08.06.2022** को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यो न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा - 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मे कथित सम्पत्ति को कब्जे मे लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध मे दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित नही होते है तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नही कहना है और तदुनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगा।

(हिमांशु कुमार गुप्ता)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.)/अपर कलेक्टर, लखनऊ।

रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड

CIN: L51100UP1990PLC012089
पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल, 7/125, सी–2, स्वरूप नगर, कानपुर–208002, उ.प्र.
फोनः 0512–2540293
ई–मेलः **investors@richuninet.com**, वेबः **www.richuninet.com**

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

सभी राशियां लाखों में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/वर्ष	31 मार्च, 2022 तक वर्ष दर आंकड़े	मार्च, 2021 पूर्व वर्ष में समाप्त अनुरूप तिमाही
1.	प्रचालनों से कुल आय	824.74	823.67	640.86
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, स्वीकार्य और असाधारण मदों से पूर्व)	24.74	6.38	(7.46)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण के बाद)	24.74	6.38	(7.46)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण मदों के बाद)	23.59	5.23	(7.46)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	23.59	5.23	(7.46)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	725.28	725.28	725.28
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	16.06	16.06	10.81
8.	10/- रु. प्रति के आय प्रति शेयर (जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए)			
1.	मूलः	0.33	0.07	0.00
2.	तनुकृतः	0.33	0.07	0.00

टिप्पणीः

ए) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाईटों और सूचीबद्ध प्रविष्टि पर उपलब्ध हैं।

कृते रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड
हस्ता/–
स्थानः कानपुर **शाश्वत अग्रवाल**
दिनांकः 27.05.2022 DIN: (00122799)

अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

बरेली, 28 मई (जनसत्ता)।

फिल्म देखकर धन वसूली के लिए अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवक ने बताया कि फिल्म देखने के बाद उसने अस्पताल प्रबंधन को डराकर धन वसूली के लिए व्हाट्स एप मैसेज और काल किया था। नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रबंधकों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जाएगा।

थाना इज्जतनगर क्षेत्र में वीर सावरकर नगर में चल रहे आरोग्य अस्पताल प्रशासन के पास एक धमकी भरा काल शुक्रवार को आया था कि अस्पताल को दो बजे तक उड़ा दिया जाएगा। इसमें रिमोट चालित एक बम रख दिया गया है। इसके बाद एक मैसेज भी आया था कि समय बर्बाद मत करो, अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी तत्काल सूचना थाना पुलिस को दी।

थाना पुलिस के साथ नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल की छानबीन कराई थी। बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया था। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी अस्पताल में कहीं कोई बम नहीं मिला लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करा दिया था।

उधर पुलिस ने फोन करने वाले का सुराग लगाने का भी प्रयास शुरू कर दिया था, जिसमें शुक्रवार देर रात पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने शाहजहांपुर के सिंधौली कस्बे के रहने वाले विपिन नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 'तेज' फिल्म देखने के बाद अस्पताल को बम की धमकी देकर धन वसूली की योजना बनाई थी। अस्पताल के लोग अगर बात करते तो वह अपने खाते में धन डालने की बात कहता और बाद में योजना के मुताबिक अपना फोन बंद कर लेता। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उससे कोई बात नहीं की थी। नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद अरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेजा जाएगा।

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN : L24241UP1981PLC005282 ; Regd. Office: 51/47, Naya Ganj, Kanpur- 208 001

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2022 (Rs./ Lacs)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 31.03.2022 Audited	Year Ended 31.03.2022 Audited	Corresponding 3 Months Ended 31.03.2021 Audited
1.	Total income from operations	-	0.90	-
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(27.12)	42.78	(8.37)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(27.12)	42.78	(8.37)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(40.19)	29.71	2.06
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(40.19)	29.71	2.06
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	120.61	120.61	90.90
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (in Rs.)	(4.73)	3.49	0.02

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Dinesh Khandelwal
Director (Finance & CFO)
DIN: 00161831

Place: KANPUR
Date: 28.05.2022

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.) अपर कलेक्टर लखनऊ

संख्या 220/रीडर-टी.जी./2022 दिनांक 25 मई, 2022

नोटिस

1. **श्री रवि वंश आदित्य** नि. 016/पी196, खसरा-47, सी फैज्जुल्लागंज, 187, वार्ड - सीमरा गौढी, लखनऊ व सम्पत्ति प्लाट संख्या 196 मि. का भाग, खसरा संख्या 47, रायपुर (साई सिटी) लखनऊ।
2. **श्रीमती सरिता भारती**, नि. 016/पी196, खसरा-47, सी फैज्जुल्लागंज, 187, वार्ड - सीमरा गौढी, लखनऊ व सम्पत्ति प्लाट संख्या 196 मि. का भाग, खसरा संख्या 47, रायपुर (साई सिटी) लखनऊ।
3. **श्री निजामुद्दीन पुत्र स्व. हक्कीमुद्दीन**, नि. - सी - 82, सेक्टर - एम. लीगंज, लखनऊ।

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि रिलायंस हो. फा. लि. लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गये ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनॉक **08.06.2022** को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण स्पष्टकरें कि क्यो न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा - 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मे कथित सम्पत्ति को कब्जे मे लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध मे दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित नही होते है तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नही कहना है और तदुनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगा।

(हिमांशु कुमार गुप्ता)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.)/अपर कलेक्टर, लखनऊ।

इंडियन बैंक Indian Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

मण्डलीय कार्यालय लखनऊ, न्यू बिल्डिंग, द्वितीय तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001,
फोनः 0522-2286272, 2287283. फैक्सः 0522-2288033. ई-मेलः zo.lucknow@allahabadbank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के पठित नियम 6(2) एवं / या नियम 8(6) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी की सूचना

जैसाकि, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) के बकायों के तथा उसमें वर्णितनुसार ब्याज की वसूली हेतु **"जहाँ है जो है, जो कुछ भी है वहाँ पर"** के आधार पर उसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्ति/ यों का रचनात्मक कब्जा ले लिया है और जैसा कि बकायों का पुर्न भुगतान न करने के फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी कथित सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी सेवाप्रदाता के माध्यम से बिक्री करके बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखता है। वर्तमान में सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा उपलब्ध है।

क्र. स.	उधारकर्ता/प्रोपराइटर/ साझेदार/निदेशकगण/ बंधककर्ताओं/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	सम्बन्धित बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि कब्जा सूचना की तिथि प्रतिभूति ऋण राशि	(क) आरक्षित मूल्य (ख) धरोहर राशि (ग) ईएमडी जमा करने के लिये खाता विवरण (घ) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी द्वारा धरोहर राशि जमा करने की तिथि व समय ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	शाखाः हुसैनगंज				
1	**ऋणीः मेसर्स जगदीप सिंह एण्ड कम्पनी** दिनांक 30.01.2022 को मृतक श्री जगदीप सिंह की संपत्ति के भागीदार कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। **1. श्रीमती मिनी चौहान** (पत्नी), **2. श्री कुलदीप सिंह** (पुत्र), **3. श्रीमती दीप्ति सिंह चौहान** (पुत्री), **5. श्रीमती दीपशिखा पंवार** (पुत्री), निवासी 58, एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226010 **ऋणी एवं पार्टनरः 1. श्रीमती मिनी चौहान, 2. श्री कुलदीप सिंह,** सभी निवासी 58, एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226010 **जमानतकर्ता एवं बंधककर्ताः 1. श्री सौरभ पंवार** पुत्र श्री बृजेंद्र सिंह, मकान सं0 40/1-बी, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0-211002, **2. श्री लालता प्रसाद** पुत्र श्री ठाकुरी, निवासी विशाल सिटी, बेगरिया रिंग रोड, दुबग्गा, काकोरी, लखनऊ-226101, **3. श्रीमती प्रमिला पंवार,** निवासी प्लॉट सं0 बी-3/134, रजनी खण्ड, शारदा नगर योजना, लखनऊ-262726	अचल संपत्ति/भूमि के सभी भाग एवं खण्ड प्लॉट सं0 बी-3/134, रजनी खण्ड, शारदा नगर योजना, लखनऊ पर संरचना सहित, **क्षेत्रफलः** 200 वर्ग मीटर, **स्वामीः श्रीमती प्रमिला पंवार** पत्नी श्री बृजेंद्र सिंह, **चौहद्दीः पूर्वः** 9 मीटर रोड, **पश्चिमः** डी टाइप प्लॉट्स, **उत्तरः** प्लॉट सं0 3/133 पर मकान, **दक्षिणः** प्लॉट सं0 3/135 **सांकेतिक कब्जा**	23.03.2020 16.01.2021 रू. **3,80,73,405/-** दिनांक 23.03.2020 तक का समावेशित + ब्याज मूल्य एवं अन्य शुल्क व खर्चे अतिरिक्त	क) रू. **1,10,10,000/-** ख) रू. **11,01,000/-** ग) **6127853725,** आईएफएससी **IDIB000H561** हजरतगंज मेन शाखा घ) रू. **10,000/-**	**28.06.2022** प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक **30.06.2022** प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज गाडी और उसके निरीक्षण के बारे में सत्यापन के लिए, **इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)**, उपरोक्त शाखा से कार्यालय समय में **दिनांक 28.06.2022** से पहले संपर्क कर सकते हैं एवं नीलामी से सबंधित जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

अधित जानकारी और नियम एवं शर्तें डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें - **(i) https://ibapi.in, (ii) https://www.mstcecommerce.com**

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं को बिक्री सूचना के बारे में अधिसूचित किया जाता है।

दिनांकः 28.05.2022, स्थानः लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)**

जमीयत सम्मेलन में सद्भावना मंच के गठन का प्रस्ताव पारित

देवबंद (सहारनपुर), 28 मई (जनसत्ता)।

जमीयत–उलमा–ए–हिंद के दो दिवसीय सम्मेलन में शनिवार शाम तीन महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। जमीयत सम्मेलन में सद्भावना मंच के गठन, इस्लामी फोबिया रोकने संबंधी प्रस्ताव पारित, देश के 10 हजार स्थानों पर सद्भावना संसद आयोजित संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि जमीयत दुर्भावना फैलाने वाले तत्वों और समूहों के असर को बेअसर करने के लिए देशभर में 10 हजार से ज्यादा स्थानों पर सद्भावना संसद का आयोजन करेगी। इसमें सभी मजहबों की नामवर शख्सियतें शिरकत करेगी। जमीयत ने मुसलमानों से अपील की कि वे गोरक्षा का सम्मान करे। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए और सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल नमाज वगैरह के लिए न करे।

जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में देशभर से आए दो हजार से ज्यादा इस्लामिक विद्वानों और जमीयत के कर्ता–धर्ताओं की मौजूदगी में पारित प्रस्तावों में कहा गया कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की साझा बैठके आयोजित की जाएगी। किसान, मजदूर और पिछड़े वर्गों, यतीमों, बेवाओं और लाचार और मजबूर लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। एक अन्य प्रस्ताव में जमीयत ने कहा कि सत्तारूढ दल देश के सदियों पुराने भाइचारे की पहचान को बदलने में लगा है। जमीयत ने देश में पनप रहे इस नए माहौल जिसमें सांझी विरासत और सामाजिक मूल्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जमीयत ने कहा कि आज मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हर क्षेत्र में अलग–थलग करने की कोशिशे हो रही है। जमीयत इसे रोकने को आगे आएगी। जमीयत ने यह प्रस्ताव भी पारित किया कि सभी मजहबों, जातियों और वर्गों के बीच आपसी सद्भाव, सहनशीलता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश देने के लिए 14 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इस्लामो फोबिया की रोकथाम का हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए साझे प्रयास किए जाएंगे। सम्मेलन में मीडिया के एक वर्ग पर लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप लगाया। सरकार को ऐसी कोशिशों पर रोक लगानी चाहिए। सम्मेलन में कहा गया कि देश में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ शत्रुता के प्रचार और माहौल से विश्व में भारत की छवि खराब हो रही है। यह रूकना चाहिए। सम्मेलन में दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ति अबुल कासिम नोमानी, शूरा के सदस्य व सांसद मौलाना बदरूद्दीन अजमल, बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भी अपनी बात रखी।

बिना टिकट यात्रा करने वालों से 19 करोड़ से ज्यादा की वसूली

चंदौली 28 मई (जनसत्ता)।

पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इसके तहत मई महीने में कुल 3 लाख 30 हजार 992 मामले सामने आए हैं। इन यात्रियों से जुर्मान के तौर पर 19 करोड़ 90 लाख से अधिक राशि वसूल की गई। यह जानकारी मंडल रेल प्रबंधक से मिली है।

मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल की तुलना में बिना टिकट यात्रा करने वाले मामले में 37 फीसदी जबकि वसूली में होने वाले राजस्व में 34 फीसदी अधिक है.दानापुर मंडल में 87 हजार 898 लोगों को बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ा गया जिनसे करीब 05 करोड़ 50 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह सोनपुर मंडल में 74 हजार 351 लोगों से 4.12 करोड़ से अधिक रुपए, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 48 हजार 425 लोगों से 2.91 करोड़ रुपये, समस्तीपुर मंडल में 68 हजार 208 लोगों से 5.26 करोड़ और धनबाद मंडल में बिना टिकट यात्रा करते हुए 52 हजार 110 लोगों से 2.12 करोड़ से अधिक की धनराशि वसूली गई।

एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार

हापुड़, 28 मई (जनसत्ता)।

एक लाख के इनामी बदमाश से शुक्रवार रात रात थाना देहात क्षेत्र के टियाला बाइपास पर पुलिस मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर व प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगी जिसमें दोनों बाल–बाल बच गए। सिपाही राजीव मलिक गोली लगने से घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक ने दीपक भूकर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ततारपुर बाईपास पर चेकिंग कर रहे थे। रोजाना की तरह गश्ती दल के साथ खुद भी क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस के रोकने पर आरोपी मौके से भागने लगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए बाइक सवार का पीछा किया गया उसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर उनकी टीम,व कोतवाली देहात प्रभारी विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना स्तर पर नियुक्त की गई। स्वाट टीम के सब इंस्पेक्टर नसीम खान व उनकी टीम की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर व हाथ में गोली लगी है। वहीं हापुड़ एसपी और थाना प्रभारी क्रास फायरिंग में बाल–बाल बच गए। बदमाश ने करीब 16 राउंड गोलियां चलाई व पुलिस टीम की और से 10 राउंड फायरिंग हुई। घायल बदमाश की पहचान मोनू उर्फ मोईदीन निवासी थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है। एडीजी राजीव सभरवाल ने मोनू पर एक लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। आरोपी दिल्ली सहित यूपी के कई जिलों से काफी समय से फरार चल रहा था। पूर्णबंदी के दौरान बदमाश को दिल्ली कोर्ट ने पैरोल दी थी। तभी से मोनू फरार चल रहा था। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि मोनू के पास से दो पिस्टल व 86 जिंदा कारतूस व एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घायल सिपाही को भी उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सड़क हादसे में दंपति की मौत

गाजीपुर, 28 मई (जनसत्ता)।

जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में कुंवरपुर के पास शनिवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

करंडा थाना क्षेत्र के रामनाथपुर गांव निवासी नगीना राम (45) अपनी पत्नी शीला देवी (40) को लेकर बाइक से पियरी गए थे। वहां से शनिवार को दोनों लौट रहे थे, इसी दौरान कुंवरपुर के पास खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पति–पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक सहित फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ऐक्सिस बैंक आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
मै0 ओम साई राम ट्रेडर्स, पताः सी/ओ मोहल्ला गांधी नगर जैथरा एटा जिला एटा उ0प्र0 207001, **(प्रोप0 के माध्यम से)** सोनू गुप्ता **(ऋणी)** पुत्र श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, पताः 1– मोहल्ला गांधी नगर जैथरा एटा जिला एटा उ0प्र0 207249, पताः 2– सी/ओ शॉप स्थित मोहल्ला भोलापुर परगना पहरा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0, 209625	भूमि/सम्पत्ति स्थित शॉप स्थित मोहल्ला भोलापुर परगना पहरा तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0 209625, एरिया–19.21 वर्ग मी, **वैल्यएशन के अनुसार चौहद्दीः** पूर्व– निकास सदर सरकारी भोलेपुर क्रॉसिंग से सोनी परियाँ स्कूल रोड, पश्चिम –विक्रम सिंह का मकान, उत्तर– मन्जू गुप्ता का मकान, दक्षिण– राम गोपाल का मकान।	**रू0 16,02,337.44** दि. 25.02.2022 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 04.03.2022 23.05.2022
मै0 रविन्द्र कुमार गुप्ता, पताः सी/ओ राजीव नगर संकिक्षा रोड मोहम्मदबाद जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0 206451 श्री रविन्द्र कुमार **(ऋणी)** पुत्र श्री बालकराम कुमार, रामा कांति **(गारण्टर)** पत्नी रविन्द्र कुमार दोनो का पताः आजाद नगर मोहम्मदबाद जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0 206451,	भूमि/सम्पत्ति स्थित शॉप स्थित राजीव नगर शंकिक्षा रोड मोहम्मदबाद जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0 206451, एरिया–13.06 वर्ग मी, चौहद्दीः पूर्व– सोनू गुप्ता की दुकान, पश्चिम– रविन्द्र की दुकान, उत्तर–रवेन्द्र का मकान, दक्षिण– रास्ता।	**रू0 11,17,219/-** दि. 25.02.2022 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 04.03.2022 23.05.2022

दिनांकः 29.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

---

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोनः 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com
शाखा का पता : तीसरी मंजिल, 16/104 ए, श्री सिद्धिविनायक बिल्डिंग, फाइनेंस लिमिटेड चिल लाइन्स, कानपुर– 208001 (यूपी), ई–मेलः kanpur@pnbhousing.com

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में,उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	NHL/KNP/1019/750781 & NHL/KNP/1020/828034	श्री संकेत चौरसिया (उधारकर्ता) और श्रीमती रजनी चौरसिया और श्री जगदीश चंद्र चौरसिया (सह–उधारकर्ता)	27–11–2021	रु. 27–11–2021 की स्थिति के अनुसार रुपये 1,83,81,286.93 (रुपये एक करोड़ तिरासी लाख इक्यासी हजार दो सौ छियासी और तिरानबे पैसे मात्र)	26.05.2022 (प्रतीकात्मक)	कानपुर नगर में स्थित मकान नंबर 113/340 ए, स्वरूप नगर, शमा नर्सिंग होम के पास, कानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश– 206002 स्थित सभी संपत्ति, मापक्षेत्र–4529 वर्ग फीट, निम्नानुसार चौहद्दी : – पूर्वः 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम– प्लॉट नंबर 1, 2 और 3, उत्तर–प्लॉट नंबर 91 और 9 2, दक्षिण –प्लॉट नंबर 90

स्थानः– कानपुर,
दिनांकः 27.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी , पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited

Regd. Office:- 9th Floor, Antriksh Bhavan, 22, K G Marg, New Delhi-110001. Phones:- 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com

लखनऊ शाखा कार्यालय : पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल, वाणिज्यिक परिसर, शाहनजफ रोड, पंडित हाउस, लखनऊ–226001, **वाराणसी शाखा कार्यालय** : पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दूसरी मंजिल, तुलसी कॉम्प्लेक्स, सी–19/134, एम–बी, शास्त्री नगर, सिगरा, वाराणसी– 221010 यू.पी.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों/सह–कर्जदार/गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों/ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है।

आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यां) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	HOU/VAR/0820/807599, बी.ओ. वाराणसी	श्री धीरज कुमार चौरसिया (उधारकर्ता) एवं श्रीमती प्रीति चौरसिया (सह– उधारकर्ता), पता–बी 23/54 डी 1, पटेल नगर, खोजवा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221010, भारत	NA	अराजी नंबर 165 165/2, मौजा जोल्हा, वार्ड नगवा, परगना देहात अमानत, तहसील वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 221005	18-04-2022	18–04–2022 तक बकाया रु. 28,24,707.04 (रुपये अट्ठाईस लाख चौबीस हजार सात सौ सात एवं चार पैसे मात्र)
2.	HOU/LUC/1018/587203 बी.ओ. लखनऊ	श्री अखिलेश कुमार (उधारकर्ता) एवं श्रीमती संध्या संध्या (सह–उधारकर्ता) पता– अखिल कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूवर्स, 7ए/ 463, तीसरी मंजिल, आरबीएल रोड, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226029, भारत	NA	ए1–703, 7वां, टावर ए1, एवरेस्ट एन्क्लेव, वृंदावन योजना 4, सेक्टर 18, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत–226025	18-04-2022	18–04–2022 तक बकाया रु. 60,93,395.54 (रुपये साठ लाख तिरानवे हजार तीन सौ पंचानवे एवं चौवन पैसे मात्र)

स्थान : लखनऊ / वाराणसी, दिनांकित : 28-05-2022 **प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**